भारत की हरित वित्त योजना

[स्रोत: लाइव मिंट]

भारत वर्ष 2030 तक अपने **500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य** के लिये लगभग **1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर** की [हरित वित्त] जुटाने हेतु **कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर डिफरेंस (CfD)** को एक केंद्रीय तंत्र के रूप में अपना रहा है।

- CfD, **नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों और सरकार के बीच राजस्व स्थिरीकरण** हेतु एक वित्तीय समझौता है। यदि बाज़ार मूल्य सहमत स्ट्राइक मूल्य से नीचे गिर जाते हैं, तो सरकार उत्पादक को अंतर का भुगतान करती है और यदि मूल्य इससे ऊपर बढ़ जाते हैं, तो उत्पादक अधिशेष राशि वापस कर देता है।
  - CfD जोखिम को कम करते हैं और यूरोप में नवीकरणीय परियोजनाओं के लिये व्यापक रूप से उपयोग किये जाते हैं।
- **हरित वित्त** में पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिये डिज़ाइन किये गए वित्तीय उत्पाद और सेवाएँ शामिल हैं। [पेरिस समझौते] के अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिये, भारत को **वर्ष 2030 तक 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर** की आवश्यकता है।
- भारत को विकास के लिये आवश्यक हरित वित्त पर ध्यान केंद्रित करते हुए,**अपने नेट ज़ीरो लक्ष्य के लिये वर्ष 2070 तक 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है।**
- **भारत में हरित वित्त पहलें:** भारत कोयला उपकर द्वारा वित्तपोषित [राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा एवं पर्यावरण कोष (NCEEF)] के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा का वित्तपोषण करता है।
  - [भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (IREDA)] द्वारा रियायती ऋण।
  - भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनिवार्य [प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL)]।
  - [ग्रीन, सोशल और सस्टेनेबिलिटी (GSS) बॉण्ड]।
  - ग्रामीण परियोजनाओं के लिये [कार्बन बाज़ार और क्रेडिट] तथा **बेटरवेस्ट** जैसे क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म।

जलवायु वित्त

जलवायु वित्त का तात्पर्य जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध शमन और अनुकूलन संबंधी कार्यों का समर्थन करने के लिये सार्वजनिक/निजी/वित्तपोषण के वैकल्पिक स्रोतों से प्राप्त स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण से है।

जलवायु वित्त के सिद्धांत

- प्रदूषणकर्त्ता भुगतान करता है,
- 'समान लेकिन विभेदित ज़िम्मेदारी और संबंधित क्षमताएँ' (CBDR-RC)

UNFCCC द्वारा समन्वित बहुपक्षीय जलवायु कोष

- **वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF):** वित्तीय तंत्र की संचालन इकाई (1994)
- **क्योटो प्रोटोकॉल (2001):**
  - **अनुकूलन कोष (AF):** विकासशील देशों को अनुकूलन परियोजनाओं का पूर्ण स्वामित्व प्रदान करना।
  - **स्वच्छ विकास तंत्र (CDM):** विकासशील देशों में उत्सर्जन-कटौती परियोजनाओं को पूर्ण करना।
- **हरित जलवायु कोष (GCF):** वर्ष 2010 में स्थापित (COP 16)
  - इसके अंतर्गत कोष- **अल्प विकसित देश कोष (LDCF)** और **विशेष जलवायु परिवर्तन कोष (SCCF)**
- **दीर्घकालिक जलवायु वित्त:**
  - **कानकुन समझौता (वर्ष 2010):** लघु और दीर्घावधि में धन एकत्रित करना तथा उपलब्ध कराना।
  - **पेरिस समझौता (वर्ष 2015):** विकसित राष्ट्र वर्ष 2025 तक कम-से-कम 100 बिलियन डॉलर/वर्ष का नवीन सामूहिक लक्ष्य स्थापित करने पर सहमत हुए।
- **लॉस एंड डैमेज फंड (2023) (COP27 और COP28):** जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से सबसे कमज़ोर और प्रभावित देशों को वित्तीय सहायता करना।

विश्व बैंक के अधीन जलवायु निवेश कोष (CIF)

- स्वच्छ प्रौद्योगिकी कोष
- सामरिक जलवायु कोष

जलवायु वित्त के संबंध में भारत की पहल

कोष	उद्देश्य उद्देश्य
राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि (NAFCC) (2015)	कमज़ोर भारतीय राज्यों के लिये
राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (2010-11)	स्वच्छ ऊर्जा को आगे बढ़ाना (औद्योगिक कोयले के उपयोग पर प्रारंभिक कार्बन टैक्स के साथ प्रारंभ करना)
राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (2014)	आवश्यक और उपलब्ध कोष के बीच अंतर को ख़त्म करना
अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान (INDCs) (2015)	UNFCCC के तहत अपनाए गए राष्ट्रीय स्तर पर बाध्यकारी लक्ष्य
जलवायु परिवर्तन वित्त इकाई (2011)	वैश्विक जलवायु वित्त मुद्दों पर नेतृत्व करता है

जलवायु वित्त के समक्ष चुनौतियाँ

- NDCs के तहत राष्ट्रीय आवश्यकताओं और जलवायु वित्त के बीच अंतर (Gap) होना,
- अल्प विकसित देशों को बहुपक्षीय जलवायु कोष से प्रति व्यक्ति के हिसाब से न्यूनतम स्वीकृत धनराशि मिलना,
- स्वीकृतियों की धीमी दर,
- व्यवहार्यता-अंतर वित्त पोषण हासिल करने में विफल होना।

Drishti IAS

और पढ़ें: राष्ट्रीय हरित वित्तपोषण संस्थान

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/indias-green-finance-plan